

263

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र०क० विविध

-एक/17 जिला कटनी

विविध-१०२३-१-१७

- 1- देवीदीन भूमियां पिता श्री नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला, तह० व जिला कटनी म०प्र०
- 2- रातरानी पुत्री स्व० नत्थूलाल भूमियां
निवासी बगैहहा, तह० बरही जिला कटनी म०प्र०
जगौतिया पत्नि स्व० नत्थूलाल भूमिया
निवासी जुहला तह० व जिला कटनी म०प्र०
- 4- श्रीमती रत्तोबाई पुत्री फत्तु भूमिया
निवासी पिपरहटा तह० व जिला कटनी म०प्र०
- 5- मारु भूमिया पिता श्री स्व० फत्तु भूमिया
निवासी रजरवारा तह० वि०गढ,
जिला कटनी म०प्र०,
- 6- बल्लू भूमिया पिता स्व० फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह० व जिला कटनी म०प्र०
- 7- सोमवती बाई भूमिया पुत्री स्व० फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह० व जिला कटनी म०प्र०
द्वारा मु० आम -
श्रीमती मुन्नी बाई पत्नि श्री फत्तु भूमिया
निवासी जुहला, तह० व
जिला कटनी म०प्र०

-- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

-- अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
(श्रीमान द्वारा प्र०क० निग० 3517-एक/15 में पारित
आदेश दिनांक 20-4-16 द्वारा दी गई अनुमति की
शर्त क्रमांक 3 में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत


1/12

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 9023-एक/17

जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के० के० द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3517-एक/15 में पारित आदेश दिनांक 20-4-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि भूमि के सहस्रातेदार बल्लू आत्मज फत्तू भूमियां के पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण वे समयावधि के अंदर पंजीयन नहीं करा पाए हैं और इस न्यायालय द्वारा विक्रयपत्र निष्पादन कराने हेतु दी गई समयसीमा 20-8-16 को समाप्त हो गई है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने प्रस्तावित केता से भूमि की संपूर्ण कीमत बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त करली है । उक्त आधार पर उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का निवेदन किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र०क० निग० 3517-एक/15 में पारित आदेश दिनांक 20-4-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	